भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1171

दिनांक 09.02.2021/ 20 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

पंजीकृत और अपंजीकृत सुरक्षा एजेंसियां

†1171. श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत पंजीकृत और अपंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्राइवेट सुरक्षा मॉडल नियम, 2020 द्वारा व्यापक अधिदेश दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी सुरक्षा एजेंसियों को इस नियम से क्या लाभ होगा;

(घ) क्या सरकार के पास देश में निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भर्ती और प्रशिक्षण सहित उनके कामकाज को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

<u>लो.स.अता.प्र.सं. 1171</u>

(क): केंद्र सरकार, देश में कार्यरत प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) का रिकॉर्ड नहीं रखती है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 [पीएसएआर अधिनियम]" के संबंधित प्रावधानों की कारगर मॉनीटरिंग किए जाने हेतु एक डाटाबेस रखने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। पीएसएआरए पोर्टल के अनुसार, दिनांक 03.02.2021 को प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) के 12,299 वैध लाइसेंस अस्तित्व में हैं।

(ख) और (ग): केंद्र सरकार ने 2006 के पूर्ववर्ती "मॉडल नियमों" के अधिक्रमण में "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020" अधिसूचित किया है। नए मॉडल नियमों में पिछले 15 वर्षों में इको-सिस्टम में हुए परिवर्तनों को समावेशित किया गया है तथा ये 'डिजिटल इंडिया' और 'ई-गवर्नेंस' के प्रमुख विजनों के अनुरूप हैं। इन नियमों से प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :

- प्रौद्योगिकीय विकास यथा डिजिटलाइजेशन, इलैक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाना।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना "अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)"/अंतर-प्रचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के एक डिजिटल डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा, जिससे पूर्ववृत्त सत्यापन में लगने वाली समय-सीमा 90 दिन से घटकर 15 दिन हो जाएगी।
- यह "नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)" को शामिल करता है।
- आवेदन प्रपत्रों का सरलीकरण।
- गार्डों के "पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण-पत्र" की वैधता को 3 वर्ष की जगह बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया।
- प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की अखिल भारतीय वैधता।

- यदि किसी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को किसी एक राज्य में लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो उसके मामले में दूसरे राज्यों में पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- "जबरन बंदी" के खंड का प्रावधान किया गया है।
- लाइसेंसधारक के प्रशिक्षण संबंधी विषयों को शामिल किया गया।
- 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के साथ 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ाना।

(घ) और (ङ): प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005" के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की भर्ती और प्रशिक्षण को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाए गए "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमों" के अनुसार विनियमित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रण प्राधिकरणों को प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/नियंत्रण प्राधिकरणों को कड़ाई से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं, कि प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा गार्डों के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जैसा कि "प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम" और संबंधित राज्य के नियमों में निर्धारित है।

****